सं0-14011/01/2014-रा.भा.(नीति)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(राजभाषा विभाग)

एन.डी.सी.सी.-।। बिल्डिंग, 'बी' विंग, चौथा तल,
जयसिंह रोड,नई दिल्ली- 110001
दिनांक 07 मई, 2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय: इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना में संशोधन।

इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना के अन्तर्गत हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए अब पुरस्कार राशि में 50% वृद्धि की गई है अर्थात्:

1.	प्रथम पुरस्कार	60,000/- रूपये
2.	द्वितीय पुरस्कार	45,000/- रूपये
3.	तृतीय पुरस्कार	30,000/- रूपये
4.	प्रोत्साहन पुरस्कार	15,000/- रूपये

2. यह पुरस्कार योजना केवल केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए सीमित नहीं रहेगी बल्कि बैंकों, सरकारी उपक्रमों, वित्तीय संस्थानों, विश्वविद्यालयों, शैक्षिक व प्रशिक्षण संस्थाओं में कार्यरत व्यक्तियों पर भी लागू होगी । यह बढ़ी हुई पुरस्कार राशि वर्ष 2014-15 से प्रारम्भ मानी जाएगी । उपर्युक्त संशोधनों के अलावा इसकी सभी शर्तें, जो कि इस विभाग के दिनांक 30.07.1986 के कार्यालय ज्ञापन संख्या ।।/12013/2/85-रा.भा.(क-2) में वर्णित है, पूर्ववत रहेंगी ।

3. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से यह अनुरोध है कि वे इस संशोधित योजना के बारे में व्यापक रुप से प्रचार करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें भाग ले सकें । कृपया इस संबंध में की गई कार्रवाई से इस विभाग को भी अवगत करवायें ।

भोपाल सिंह
07.05.2014
(भोपाल सिंह)
निदेशक(नीति)

प्रति:

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के संयुक्त सचिव(प्रशासन)
2. निदेशक, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, पर्यावरण भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली ।
3. निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान,पर्यावरण भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली ।
4. राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी/अनुभाग ।
5. एन.आई.सी., राजभाषा विभाग से अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन को राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने का प्रबंध कराएं ।